न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
96 / 2020 प्रा.पत्र / 2020	21.12.2020	15.03.2024

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी खारी बावडी के पास टोरडी तह. मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड—304502
2—मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड—304502
3—श्री अक्षय कुमार जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स जैनम ऑयल एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज पालडी तह. सुवाना भीलवाडा राज.। पिनकोड—311011
4—मैसर्स जैनम ऑयल एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज पालडी तह. सुवाना भीलवाडा राज.। पिनकोड—311011

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी के पिता श्री सुरेश चन्द जैन उपस्थित।

:—निर्णय—: **दिनांक 15.03.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.09.2020 को समय 03:20 पीएम पर मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन दुकान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सिद्धार्थ जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **रिफाइंड सोयाबीन तेल वीर ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Veer Brand)** के 455—455 ग्राम के 30 नग पॉली पैक कागज के 5 कार्टून में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सिद्धार्थ जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सिद्धार्थ जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

रिफाइंड सोयाबीन तेल वीर ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Veer Brand) जिसके बैच नम्बर ए 08 एवं पैकिंग की दिनांक अगस्त 2020 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 455–455 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल वीर ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Veer Brand)** 455–455 ग्राम के 4 नग में से प्रत्येक नग को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2579 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2579 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स जैनम ऑयल एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज पालडी तह. सुवाना भीलवाडा का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3563 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./1258/एक्ट/2020/1329 दिनांक 22.09.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल वीर ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Veer Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 को तीन बार रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाए जाने पर भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अतः अप्रार्थी सं. 3 श्री अक्षय कुमार जैन के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी श्री सिद्धार्थ जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र लेबल संबंधी त्रुटि होने की वजह से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल वीर ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Veer Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल वीर ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Veer Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.03.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0